इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 536] भोपाल, शनिवार, दिनांक 29 सितम्बर 2018—आश्विन 7, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2018

क्रमांक एफ ए 3–27/2018/1/पांच (85) राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) (जिसे इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और—

(i) इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-86-2017-1-पांच (153) भोपाल दिनांक 15 नवंबर, 2017 ;

(ii) इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-86-2017-1-पांच (42) भोपाल दिनांक 11 अप्रेल, 2018; एवं

(iii) इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-27-2018-1-पांच (75) भोपाल दिनांक 29 अगस्त, 2018 ।

को सिवाय उन बातों के, जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई थी या करने का लोप किया गया था, अधिक्रांत करते हुए और परिषद् की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, जिनका पूर्ववर्ती वित्त वर्ष या चालू वित्त वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए तक समग्र आवर्त है, को ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है, जो नीचे यथा वर्णित प्रक्रिया का माल या सेवा या दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए अनुसरण करेगें ।

2. उक्त व्यक्ति माल या सेवा या दोनों की जावक पूर्ति, जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट तिमाही के दौरान उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट समयावधि तक की गई है, के ब्यौरों को मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के **प्ररूप जीएसटीआर-1** में प्रस्तुत कर सकेंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	**तिमाही, जिसके लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत किए जाते हैं**	**प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समयावधि**
(1)	(2)	(3)
1.	जुलाई-सितंबर, 2017	31 अक्टूबर, 2018
2.	अक्टूबर-दिसंबर, 2017	31 अक्टूबर, 2018
3.	जनवरी-मार्च, 2018	31 अक्टूबर, 2018
4.	अप्रैल-जून, 2018	31 अक्टूबर, 2018
5.	जुलाई-सितंबर, 2018	31 अक्टूबर, 2018
6.	अक्टूबर-दिसंबर, 2018	31 जनवरी, 2019
7.	जनवरी-मार्च, 2019	30 अप्रैल, 2019

परंतु यह और कि माल या सेवा या दोनों की जुलाई, 2017 से सितंबर, 2018 की तिमाही के लिए करदाताओं द्वारा, जिन्होंने इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-26-2018-1-पांच (74) भोपाल दिनांक 29 अगस्त, 2018, के निबंधनों में माल और सेवा कर पहचान सं. (जीएसटीआईएन) अभिप्राप्त कर ली है, द्वारा **प्ररूप जीएसटीआर-1** में जावक पूर्ति के ब्यौरों को इलैक्ट्रानिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 31 दिसंबर, 2018 को या उससे पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।

3. उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन जुलाई, 2017 से मार्च, 2019 के मास के लिए, यथास्थिति, ब्यौरों या विवरणी को प्रस्तुत करने की समय-सीमा पश्चातवर्ती रूप से राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी।

4. यह अधिसूचना 10 सितम्बर, 2018 से प्रवृत्त हुई मानी जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2018

क्र. एफ-ए-3-27-2018-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-27-2018-1-पांच (85), दिनांक 29 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 29th September 2018

No. F A 3-27/2018/1/V (85) In exercise of the powers conferred by section 148 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), and in supercession of –

(i) This department's Notification No. FA-3-86-2017-1-V(153), Bhopal dated 15th November, 2017;
(ii) This department's Notification No. FA-3-86-2017-1-V(42), Bhopal dated 11th April, 2018 ; and
(iii) This department's Notification No. FA-3-27-2018-1-V(75), Bhopal dated 29th August, 2018.

except as respects things done or omitted to be done before such supercession, the State Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.

2. The said persons may furnish the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1**of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, effected during the quarter as specified in column (2) of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Table

Sl. No.	Quarter for which details in FORM GSTR-1 are furnished	Time period for furnishing details in FORM GSTR-1
(1)	(2)	(3)
1	July - September, 2017	31st October, 2018
2	October - December, 2017	31st October, 2018
3	January - March, 2018	31st October, 2018
4	April – June, 2018	31st October, 2018
5	July - September, 2018	31st October, 2018
6	October - December, 2018	31st January, 2019
7	January - March, 2019	30th April, 2019

Provided further that the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** to be filed for the quarters from July, 2017 to September, 2018 by the taxpayers who have obtained Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) in terms of this department's notification No. FA-3-26-2018-1-V(74) , Bhopal dated 29th August, 2018, shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 31st day of December, 2018;

3. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the said Act, for the months of July, 2017to March, 2019 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

4. This notification shall deemed to have come into force w.e.f. 10th of September, 2018.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.